(b) by when Government propose to hold elections to fill up all these vacancies; and

(c) by when the elections of Tamil Nadu Assembly are likely to be held?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI HANS RAJ BHARDWAJ): (a) and (b) The required information is given in the Statement which is laid on the Table of the House. [*See* Appendix CXLVII; Annexure No. 86].

(c) President's Rule in the State of Tamil Nadu has been extended for a further period of six months from July, 1988. No definite indication can be given now regarding the date of election.

Import of reactors from USSR

2074. SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have agreed to import nuclear reactors of rating above 500 MW from the USSR;

(b) whether, like to Tarapur reactor, enriched uranium will have to be imported for such reactors; and

(c) the proposed safeguards that the Government have been asked to adhere to by the USSR?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF OCEAN DEVELOPMENT, ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS AND SPACE (SHRI K. R. NARAYANAN): (a) to (c) India and the Soviet Union have agreed in principle to cooperate in the setting up of a nuclear power station consisting of two units of 1000 MMe pressurised water reactors using enriched uranium as fuel to be imported from Soviet Union. The details regarding cooperation, including guaranteed fuel supply and saggegards are being finalised under an intergovernmental agreement which the two sides are planning to sign in the near future.

Central Projects in Orissa

2075. KUMARI SUSHILA TIRIA: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) the details of the Central Projects in Orissa for which funds were allocated during the Sixth and Seventh Plans;

(b) whether the entire amount so allocated was released;

(c) if so, whether the amount so released was fully utilised;

(d) whether any assessment has been made about the on-going projects in the State and if so, the details thereof; nnd

(d) whether any assessment has been be allocated to Orissai for the purpose and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF PLANNING AND THE MINISTER OF PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI MADHAV. SINH SOLANKI): (a) to (e) Allocations for Central Projects are made on assessment of their funding requirements and overall allocation of the concerned Ministry. The funds are released by the Minisry concerned keeping in view - the progress being made, which is closely monitored As per the information available the position of such Central Projects in Orissa is as given in the Annexure *(See* Appendix CXLVTI, Annexure No. 87).

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लम्बित रिट याचिकाएं

2076. श्री सत्य प्रकाश मालवीय : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कुल विचाराधीन रिट याचिकाओं की संख्या कितनी है और ये कब कब से विचाराधीन है; और

(ख) इन रिट याचिकाओं के शीघ्र निपटान के लिये सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, तारीख 1-7-1987 को न्यायालय के समक्ष 1,27,178 रिट याचिकायें लंबित थीं। इनमें से, 12,128 एक वर्ष से कम पुरानी थी ; 21,096 एक से दो वर्ष पुरानी थीं ; 21,565 दो से तीन वर्ष पुरानी थीं ; 16,027 तीन से चार वर्ष पुरानी थीं ; 13,319 चार से पांच वर्ष पुरानी थीं ; 12,110 पांच से छह वर्ष पुरानी थीं ; 10,379 छह से सात वर्ष पुरानी थीं ; 6,632 सात से आठ वर्ष पुरानी थीं ; 4418 आठ से नौ वर्ष पुरानी थीं ; 2484 नौ से दस वर्ष पुरानी थीं और 7,020 दस वर्ष से अधिक पुरानी थीं।

(ख) न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिये समय-समय पर उठाये गये कदमों का विवरण, सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए समय-समय पर उठाए गए कदम

1 मुख्य न्यायमूर्तियों, राज्यों के मुख्य-मंत्रियों और विधि मंत्रियों के 31 अगस्त-1 सितंबर, 1985 को हुए सम्मेलन में सभी न्यायालयों में बकाया मामलों के निपटारे के विषय में विचार विमर्श हो गया है और सम्मेलन के संकल्प उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों को कार्यान्वयन के लिए भेजे गए हैं।

2 उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील के रूप में लेटर्स पेटेंट अपील को समाप्त करने के लिए सन् 1976 में सिविल प्रक्रिया संहिता का संशोधन किया गया था (देखिए धारा 100क)।

3. आपराधिक मामलों के शीघ्र विचारण के लिये दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का 1978 में संशोधन किया गया था।

4. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदों की स्वीकृत संख्या 1 मार्च, 1977 को 351 थी, जिसे 1-8-88 को बढ़ाकर 444 कर दिया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदों की स्वीकृत संख्या, 1978 में 47 थी जिसे 1-9-1988 तक बढ़ाकर 60 कर दिया गया है।

5. उच्च न्यायालय और अन्य अपील न्यायालयों में विलम्ब और लंबित मामलों के संबंध में विधि आयोग की 79 वीं रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशें उच्च न्यायालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

6. उच्च न्यायालय मामलों के शीघ्र निपटारे के लिये निम्नलिखित उपाय कर रहे हैं:—

(क) ऐसे मामलों को एक ग्रुप में रखा जाता है जिसमें एक जैसे प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं ;

(ख) थोड़ा समय देकर सुनवाई के लिए मामले नियत करना ;

(ग) अनेक मामलों में अभिलेख के मुद्रण की आवश्यकता को समाप्त करना ; और

(घ) जिन मामलों में शीघ्र निपटारा अपेक्षित है उन्हें पूर्विकता देना।

7. सरकार ने विधि आयोग को, आवश्यक सुधार लाने के लिए न्यायिक पद्धति का अध्ययन करने का कार्य सौंपा है। विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

(क) (i) ग्रामीण क्षेत्रों में विवादों के निपटारे के लिए न्याय पंचायत या अन्य तंत्र की स्थापना करके, उसका विस्तार करके और उसे सुदृढ़ करके ;

(ii) उपर्युक्त क्षेत्रों और केन्द्रों में परिनिश्चित अधिकारिता और शक्तियों सहित भाग लेने वाली न्याय पद्धति स्थापित करके ;

(iii) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कार्य की मात्रा को घटाने के लिए न्यायिक श्रेणी के भीतर अन्य पंक्ति या पद्धति स्थापित करके, न्याय प्रशासन की पद्धति का विकेन्द्रीकरण करने की आवश्यकता ।

(ख) ऐसे विषय जिनके लिए संविधान के भाग 14-क में यथा परिकल्पित अधिकरणों (सेवा अधिकरणों को, अपवर्जित करते हुए) को शीघ्र स्थापित करने की आवश्यकता है और उनके और कार्यकरण से संबंधित विभिन्न विषय ,

(ग) प्रक्रिया संबंधी विधियां-साधारणतः मामलों के शीघ्र निपटाने, अनावश्यक मुकदमेबाजी को और मामलों की सुनवाई में विलम्ब को कम करने की दृष्टि से और प्रक्रिया तथा प्रक्रिया संबंधी विधियों में सुधार और विशेष रूप से मद क(i) और क(ii) में परिकल्पित विषयों के अनुरूप प्रक्रियाओं के लिए उपाय करना ।

(घ) अधीनस्थ न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायपालिका में नियुक्ति का ढंग ;

(ङ) न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण ;

(च) न्याय प्रशासन की पद्धति को सुदृढ़ करने में विधि व्यवसाय की भूमिका;

(छ) ऐसे मानदंडों को निश्चित करने की वांछनीयता जिनका सरकार और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा विवादों के निपटारे में पालन किया जाना चाहिये । इसके अन्तर्गत सरकार और ऐसे उपक्रमों की ओर से मुकदमों के संचालन के लिये वर्तमान पद्धति का पुनर्विलोकन भी है ;

(ज) मुकदमेबाजी का खर्च-मुकदमा लड़ने वालों पर भार कम करने की दृष्टि से ;

(झ) अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन ; और

(ञ) ऐसे अन्य विषय जो आयोग उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये उपयुक्त या आवश्यक समझे या जो सरकार द्वारा उसे समय-समय पर निर्देशित किये जायें ।

विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालयों की न्यायपीठों की स्थापना

2077. **श्री अजीत जोगी** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जसवन्त सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालयों की न्यायपीठों की स्थापना किये जाने के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) इन सिफारिशों के कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) इलाहाबाद, मध्य प्रदेश और मद्रास उच्च न्यायालयों की न्यायपीठों की स्थापना के संबंध में आयोग द्वारा की गई विनिर्दिष्ट सिफारिशें संबद्ध राज्य सरकारों को भेज दी गई थीं । इन राज्यों ने इस बारे में अपने निश्चित विचार और पूरे प्रस्ताव नहीं भेजे हैं । उच्च न्यायालयों और न्यायपीठों की स्थापना संबंधी आयोग की साधारण सिफारिशें अन्य राज्यों को भी भेजी गई थीं । कर्नाटक राज्य ने हुबली-धार वाड़ में एक न्यायपीठ स्थापित करने का प्रस्ताव किया है, किन्तु यह सूचित नहीं किया है